know what exactly his version is. It is not uncommon that anything said in Pakistan can be distorted and presented to us, but, at the same time, without waiting for his version, I have clarified the Government's position so that nobody should be in any doubt.

13.00 hrs.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta—North-East) : There is one important aspect of the matter. On account of his very close association with the Prime Minister's family he went as High Commissioner, as Prime Minister's representative..(*Interruptions*) The Prime Minister is not present in the House. The hon. Minister says: I shall get information. Why has he not got in touch already and got an answer ? Are our diplomatic channels not functioning at the present moment ?...(*Interruptions*)

SHRI INDRAJIT GUPTA : If the Statement as reported is substantially correct, will the Government take a serious view of it or not? Such a High Commissioner should be withdrawn, in that case...

SHRI SWARAN SINGH : I think I have left no doubt by clearly stating the Government's position on the substantive questions that were mentioned; I have already stated that. If it is established that he has said anything contrary to our policy, we shall take proper action. I cannot say anything more unless I know the High Commissioner's version of the statement.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, चौबीस घंटे से ज्यादा हो गये हैं। क्या हाई कमिश्नर से टेलीफोन पर सम्पर्क नहीं किया जा सकता है। क्या टेलीफोन काट दिये गये हैं ? क्या पाकिस्तान हमें अपने हाई कमिश्नर से बात नहीं करने देता ? वह बात साफ होनी चाहिये। क्या तार भेजना जरुरी है ?

SHRI SWARAN SINGH : There are great difficulties in establishing contact on telephone ; we should be realistic. This could be the first thing that would occur to us also; we had tried but we could not get contact...(*Interruptions*).

MR. SPEAKER : We adjourn now for Lunch to re-assemble at 2'clock when we shall take up the clause-by-clause consideration of the Bill to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952.

13.05 hrs.

The Lok Sabha Adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

COMMISSIONS OF INQUIRY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now take up clause-by-clause consideration of the Commissions of Inquiry (Amendment) Bill. There are 15 operative clauses and there are no amendments. I shall put them together.

The question is ;

"That clauses 2 to 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 15 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formulaand the Title were added to the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : I beg to move. :

"That the Bill be passed."

MR DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill be passed."

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ऐसे कानून बनते हैं जिन का कोई ठीक उपयोग नहीं होता। मैं अभी इस इन्क्वायरी कमीशन के कानून को पढ़ रहा था तो मुझे मालूम होता है कि जब जनता कभी रोष प्रगट करती है या क्रोध करती है या कोई बड़ी घटना जनता में घट जाती है तो उस रोष को दबाने और अपने दोषों को छिपाने के लिए गवर्नरमेंट एक एन्क्वायरी कमीशन बिठा देती है। साधारण कानूनों की मदद न ले कर सरकार उन दोषों को छिपाने के लिए एक एन्क्वायरी कमीशन बिठा देती है। इस प्रकार के कानून रिपील कर दिए जाने चाहिएं। ला कमीशन की सिफारिश की बात आई है। मैं जानना चाहता हूं इस प्रकार के कानून से लाभ क्या होता है? बहुत कम लाभ होता है। जहां साधारण कानून लागू हैं वहां उस से काम न लेकर एक एन्वायरी कमीशन बिठा दिया जाय और वह भी केवल सिफारिश करता है, उस में भी कोई जरूरी नहीं कि आप उस के ऊपर अमल करें तो उस से लाभ क्या है? यह भी जरूरी नहीं होता कि आप उसे पब्लिश करें। आप चाहे तो उसे छिपा दें। कितने ही महीनों तक अपने कोल्ड स्टोरेज में आप उसे रखे रह सकते हैं। आप चाहें तभी उस के ऊपर एक्सन हो सकता है। तोइस सेक्या लाभ होता है, मेरी समझ में नहीं आता है।

1952 के बाद कमीशस की रिपोर्ट जो आई है, उन को देखें। कौन-कौन से ऐक्शंस आपने उस पर लिए? क्या इस से कोई लाभ हुआ। तो यह बात मेरे दिमाग में नही बैठी। और इसी बात को ला कमीशन ने खुद कहा है कि इस प्रकार के यह जो एन्क्वायरी कमीशन के ऐक्ट हैं इन से कोई लाभ नहीं है:

> In the absence of specific clear-cut provisions for the purpose, there is a danger of inquiries being instituted in relation to matters in which the remedies available under the ordinary law are adequate and effective.

तो जहां रिमेडीज़ मौजूद हो वहां आप एन्क्वायरी कमीशन को ले जाकर करना क्या चाहते है? एक ही बात मैं समझता हूं आप करना चाहते हैं। एक राज्य में एक एन्क्वायरी कमीशन बैठा। थोड़े दिन वहां दूसरी पार्टी का राज्य आता हैं। आपने उस कमीशन को ड्राप कर दिया। उस को कह दिया कि चलिए बन्द कर देते हैं। तो फिर ऐसे एन्क्वायरी कमीशन की सैंक्टिटी क्या है? एक बात और भी है कि जब कभी जनता में कोई उभार आता है तो उस को शांत करने के लिए एन्क्वायरी कमीशन बिठाने का काम किया जाता है इसलिए उन्होंने कहा है कि यह एन्क्वायरी कमीशन कोई लाभ नहीं देता।

> "The powers usuaally conferred on commissions are felt to be rather draconian in practice. When the *Waters* case was debated upon in the House of Lords, some of the Members went to the extent of likening Tribunals under the English Act to the court of star chrmber. Similarly in the course of the debates on our own commissions of Inquiry Bill in Parliament, the provisions as to requisition and search of premises were characterised by some members as drastic."

मैं इस प्वाइन्ट को नहीं समझा कि आप के एन्क्वायरी कमीशन से क्या लाभ होता है। 1952 के इस विधेयक के बाद आप ने कुछ अनेण्डमेन्ट्स पेश किये। सिविल कोर्टस को जो पावर है, वे सारी पावर्स आप के एन्क्वायरी कमीशन को हैं, उस के पास एक्स्ट्रा पावर्स भी आप देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर पर एन्क्वायरी होगी और उस में कहते हैं कि पब्लिक एलाउन्ड नहीं है। कमीशन चाहे तो एन्क्वायरी सीक्रेट कर सकता है। कैमरा में कर सकता है। यह कौन

सा तरीका है—पब्लिक इम्पोर्टेन्स का सवाल हो, उस की एन्क्वायरी इंस्टीचूट की जाये पब्लिक को चाहें तो एलाउ करें चाहें न एलाउ करें, चाहें तो उन के बयान ले सकते हैं । इस के अलावा उस की रिकमेन्डेशन्ज को आप कहां-कहां लागू करते है ? गवर्नमेंन्ट कई बार एन्क्वायरी करवाती है और करवाकर अपने पास रख लेती है । और वह गर्वमेंन्ट के फेवर में होती है तो उस को काम में ले लेते हैं, वनरा रख लेते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन वह कि इस कानून और इसी अमेन्डमेट्स से कोई इफेकिटव बात नही हुई । मैं तो यह चाहता हूं कि कोई ऐसा इफेकिटब कानून बनना चाहिये, जिस से लाभ हो सके, अन्यथा केवल आइ-वाश करने के लिए ही एन्क्वायरी कमीशन बैठा दिये जाते हैं । मैं समझता हूं कि इसका कोई परपज नहीं है और जो कुछ तरीका इस में अख्तियार किया गया है, उस में आप ने कई बातों में कोई सुधार नहीं किया है । ला कमीशन ने आप को कई सिफारिशें की थीं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ केवल यह सुधार हुआ कि अगर कमीशन में तीन मेम्बर बैठते हों, अगर उनमें से दो न भी हों, तो भी एक मेंम्बर को कार्यवाही चालू करने का अधिकार रहे । अगर 6 महीने के बाद भी वह आयगा, तो भी बैठ आयगा हांलाकि कोर्ट में ऐसा नही होता है । अगर कोई नया जज आता है तो वह सारी विट नेसेज की डी० नोट कर सकता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, you want to oppose the Bill ?

SHRI M. C. DAGA : It should be dropped.

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई ऐसी बातें कहीं जिन में कोई ठोस तर्क नहीं है जिन का उत्तर देना मेरे लिये आवश्यक हो । माननीय सदस्य हमेशा इस प्रकार के दृष्टिकोण अपनाया करते हैं जो अव्यवहारिक होते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण हैं या नहीं, वह मैं नहीं कह सकता । कुछ समय पहले लिंग्वस्टिक माइनौरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस हो रही थी, तब उनकी तरफ से यह सुझाव आया कि कमीशन का दफ्तर ही बंद कर दिया जाय. लेकिन उस समय भी उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया । उस समय भी इसी प्रकार की हवाई बातें उन्होंने कही थी, लेकिन सौभाग्य से अन्य माननीय सरस्यों ने उस से सहमति प्रगट नहीं की । आज भी माननीय सदस्य कुछ इसी प्रकार की बाते कह रहे हैं । इतनी बहस के बाद वह कह रहे हैं कि इस बिल को छोड़ दिया जाय, ड्राप कर दिया जाय, कमीशन आफ एन्क्वायरी ही गलत है । माननीय सदस्य काफी अर्से तक राजस्थान विधान सभा सभा के सदस्य रहे हैं, बड़े परिपक्व वकील हैं, संबधानिक मामलों का भी उन को पर्याप्त ज्ञान हैं, फिर भी वह ऐसी बातें कह रहे हैं...

श्री मूलचन्द डागा : आप ला के बारे में नही बोल रहे हैं, मेरी बात ही कह रहे हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं कमीशन की ही बात कर रहा हूं । मैं आप के सुझावों की अव्यवहारिकता का कुछ विश्लेषण कर रहा हूं । आप ने जो सुझाव दिये हैं, वे कितने गलत हैं, खतरनाक हैं, उस की परिभाषा देना आवश्यक है······

श्री समर गुहा (कन्टाई) : कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में ऐसा विश्लेषण करना अच्छा था । वहां की बैठक में करें ।

श्री राम निवास मिर्धा : हमारी पार्टी छिपा कर बात नहीं करती, सब खुली बात करती है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि कोई कमीशन मुकर्रिर हो जाता है लेकिन उस की सिफारिशों

[श्री राम निवास मिर्धा]

की तामील नहीं होती । इस संशोधन विधेयक के द्वारा इस में प्रावधान हो रहा हैं कि 6 महीने के अन्दर राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार जो भी कमीशन मुकर्रिर करती है, उसके लिये वाध्य होगा कि वह उस की रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखे और उस पर क्या कार्यवाही की गई है, उस को भी रखें । अगर माननीय सदस्य इस विल को देख लेते तो इन्हें पता लग जाता हम ने इस विल के द्वारा कानून को सुधार ने की कोशिश की है और कानून को सुधारने की प्रक्रिया तो एक निरन्तर प्रक्रिया है उसी के आधार पर हम ने सारा मसला लाकमीशन के पास भेजा था, उन्होंने कई सुझाव दिये, जिन को हम ने स्वीकार किया । इस के अलावा इस विल को प्रवर समिति को भेजा गया, उनके भी बहुत से सुझाव हम ने स्वीकार किये और अधिक से अधिक उपयोगी बना कर ही यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है ।

इस लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित करें ताकि यह विधेयक और ज्यादा कारगर बन सकें, जो एन्क्वायरी कमीशन मुकर्रिर होते हैं वे और ज्यादा कारगर और सक्षम तरीके से काम कर सकें और जो भी काम उन को सौंपा जाय वह ठीक ढंग से और व्यवहारिक ढंग से हो सकें ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.16 hrs.

VISVA-BHARATI (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : Mr. Deputy-Speaker I beg to move :

"That the Bill further to amend the Visva-Bharati Act, 1951 be taken into consideration."

Sir, I am moving this Bill before this honourable House with a very heavy heart. I feel very strongly myself and I am sure that the House shares this feeling that the Government should not interfere with the fuctiening of our universities as far as possible. Unfortunately, a situation, a situation has developed in Visva-Bharati when in the interest of the smooth functioning of the University itelf and in the interest of its autonmy, it has been necessary for the Government to being forwad this amending leg isaltion

The House will recall that various incidents of violence and intimidation have taken place in the University since November, 1970. It has also been reported that a small section within the University has been adopting a negative attitude which has made it very difficult for many of the teachers and the students to carry on their normal academic work.

While it is important that the Government should not pressurize any university in so far as the academic pursuit is concerned, it is also important that no section within a university itself should be permitted to pressurize others from carrying on their normal and legitimate academic functioning.This Bill has been brought before the House partly to save the authorities of the University from various types of internal pressures and pulls and partly also to smoothen the transition to a new structure which is visualised for Visva-Bharati as for the other Central universities in implementtion of the report of the Committee on the Governance of Universities appointed by the UGC, commonly called the Gajendragad kar Committee.

The Gajendragadkar Committee Report has been placed on the Table of the House by me during this session and I hope some of the hon, Members at least have had